भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2010
बुधवार, 10 जुलाई, 2019/19 आषाढ़, 1941 (शक)

सूखाग्रस्त और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के
अवसर सृजित करना

2010. श्रीमती कान्ता कर्दमः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के सूखाग्रस्त और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के और अवसर सृजित करने के लिए व्यापक नीति बनाई है/बनाने का विचार रखती है;
(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त नीति से देश के विभिन्न राज्यों में गरीब लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में किस हद तक सहायता मिलेगी;
(ग) क्या सरकार को कुछ राज्यों की ओर से रोजगार सृजन हेतु विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): देश के सूखाग्रस्त एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में और-अधिक रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) 2005 का अधिदेश प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके व्यस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सिफारिश पर देश में अधिसूचित सूखा प्रभावित क्षेत्रों अथवा प्राकृतिक आपदा क्षेत्रों में 100 दिनों के अलावा 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाता है। एमजीएनआरईजीए एक मांग-आधारित योजना है तथा कार्य-क्षेत्र में अकुशल शारीरिक कार्य हेतु मांग के आधार पर निधि जारी की जाती हैं।

सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), तथा पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों को उनके प्रयासों में समर्थन देने के लिए सभी संभव संचालन-तंत्र एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संबंधित राज्य सरकारें नुकसान का आकलन करती हैं और उनके पास पहले से मौजूदा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) से प्राकृतिक आपदाओं के आलोक में वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। अतिरिक्त वित्तीय सहायता निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) से प्रदान की जाती है, जो एक अंतर्मंत्रालयीय केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के स्थानीय दौरे के आधार पर किए गए आकलन पर आधारित होता है।

*****